

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर

(Phone: 05642-294300 Help Line, E-mail- dlsa13dholpur.com)

क्रमांक :- 3388

दिनांक :- 29-06-26

-:विज्ञप्ति:-

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-29/रालसा-संस्था/नवीन वाहन चालक पद सृजन/2026/453 दिनांक 24.06.2026 एवं राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.8(1) विधि-2/विरसं(194)/2026-68576 दिनांक 19.06.2026 के अनुक्रम में वाहन चालक के रिक्त पद पर नियमित भर्ती होने तक तत्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के विभागों/पीसएयू से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर, में वाहन चालक के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा सेवाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो) हेतु निम्नानुसार वाहन चालक के पद के विरुद्ध वाहन चालक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ निम्नानुसार ली जानी है:-

क्र. सं.	पद	कार्यालय	रिक्त पदों की संख्या
01	वाहन चालक	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर	01
कुल			01

शर्त:-

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगा।
2. ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त वाहन चालक की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यक्षीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर में रिक्त पद के अनुसार ली जावेगी।
3. वाहन चालक को नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
5. उक्त वाहन चालक की नियुक्ति में वैध लाइसेंस, वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव, पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय फिटनेस, चरित्र प्रमाण पत्र और आधारभूत वाहन रखरखाव की जानकारी वांछनीय होगी।
6. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर अथवा 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक वाहन चालक कर्मचारी दिनांक 05.07.2026 को कार्यालय समय सांय 5:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

- अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न है)
- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
- पीपीओ की प्रति



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)

क्रमांक:- 3389-3397

दिनांक:- 29-06-26

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- 2 श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), धौलपुर।
- 3 श्रीमान जिला कलक्टर, धौलपुर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
- 4 धौलपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को जरिये ई-मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 5 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
- 6 जिला जनसंपर्क अधिकारी, धौलपुर।
- 7 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, धौलपुर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8 नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
- 9 आदेश संबंधित पत्रावली।



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
धौलपुर (राज0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर

॥ राज्य सरकार के वाहन चालक को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लेने के लिए आवेदन-पत्र ॥

- 1 सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 जन्म तिथि :
- 4 पूर्ण पता :
- 5 आयु दिनांक (31.03.2026 तक) :
- 6 अर्हताएं :
- 7 मूल विभाग का नाम :
- 8 सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :
- 9 अनुभव :
- 10 सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
(रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे-लेवल)

(एलपीसी संलग्न है)

11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :

(संलग्नानुसार है)

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्ति कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 01 से 09 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी..... जो पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती.....मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे-लेवल)..... आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती..... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

